

प्रति,

महामहिम राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू जी

राष्ट्रपति भारत सरकार

प्रति,

महामहिम राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन जी

राज्यपाल भवन छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

विषय - छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड के महाराष्ट्र पावर जनरेशन गारे सेक्टर -१ ईसीसीएल पेलमा कोयला प्रभावित क्षेत्र के 24 गांव के कोयला खदानों को निरस्त कर ग्रामीणों को न्याय दिलाने बाबत ।

महोदया,

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जहां पर पांचवी अनुसूची क्षेत्र लागू है इस क्षेत्र में पहले से कई कोयला खदान संचालित है जिसमें जिंदल ईसीसीएल हिंडाल्को अंबूजा छत्तीसगढ़ पावर कारपोरेशन रायगढ़ एलायंस की खदानें चालू है जिसके कारण इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रदुषण और सड़क दुघटनाओ से मौत हो रही है साथ ही टीवी कैंसर दमा सिलकोशिश जैसे बिमारी फैल रही है जिसको लेकर इस क्षेत्र प्रभावितों द्वारा राष्ट्रीय हरित प्रधिकरण NGT याचिका भी दायर की गई है जो न्यायालय में विचाराधीन है इसके बाद भी महाराष्ट्र पावर जनरेशन गारे सेक्टर-1 ईसीसीएल पेलमा कोयला खदान की शुरुआत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किए जाने की प्रक्रिया चालू की गई है जिसमें प्रभावित 24 गांव के ग्रामीणों से ना तो किसी प्रकार की ग्राम सभा करके अनुमति नहीं ली गई है एवं ना ही किसी भी प्रकार की प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को सूचना दी गई है जिसके कारण आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी प्रभावित ग्रामीणों में व्यापक पैमाने पर जनाक्रोश व्याप्त है महाराष्ट्र पावर जनरेशन गारे सेक्टर-1 ईसीसीएल पेलमा कोयला प्रभावित

क्षेत्र के लोग अपने भूमि पर कृषि पशुधन पालन का काम करना चाहते हैं एवं ग्राम क्षेत्र से लगे वन वनोत्पन्न संग्रह कर जीवन यापन करना चाहते हैं ग्रामीण आदिवासी परिवार किसी भी कीमत पर अपने क्षेत्र में कोयला खदान नहीं चाहते हैं इसके बावजूद भी राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के ऊपर बार-बार दबाव बनाया जा रहा है कि ग्रामीण अपनी ग्राम सभा से महाराष्ट्र पावर जनरेशन सेक्टर-1 ई सी सी एल पेलमा कोयला खदान को संचालित करने के लिए ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें परंतु आज पर्यंत तक ग्रामीणों द्वारा अपनी ग्राम सभा में किसी भी प्रकार की कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं की गई है वही महाराष्ट्र पावर जनरेशन सेक्टर-1 ई सी सी एल पेलमा को कंपनी द्वारा फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली में जमा की गई है जिससे कोयला प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों में जिला प्रशासन की प्रक्रिया को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है यह क्षेत्र उड़िसा के झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिले से लगा हुआ है जहां से हाथियों आना जाना लगा रहता है यह हाथी प्रभावित क्षेत्र है काला चीता कोटरी हिरण एवं अन्य जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है इस क्षेत्र में क आदिवासियों के कई आस्था के केन्द्र हैं जिसको मीलूगढ कहा जाता है इसी क्षेत्र में मोरगापाट सिलोटपहाड है जो आदिवासी समुदाय के देवता स्थापित है जिनका आज भी आदिवासी राजघराना आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर आज भी पूजा करता है जो आदिवासियों का आस्था का केंद्र है कोयला खदान खुलने से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और आदिवासियों के संस्कृत खत्म हो जाएगा, चूंकि उक्त क्षेत्र तमनार मे 1 जनवरी 2020 को सामुदायिक वन अधिकार मान्यता अधिकार पत्र 2006 संशोधित 2012 के तहत ग्राम पंचायत कुल 22 जंगलों का राज्य शासन छत्तीस गढ़ के द्वारा दिया गया है वहीं 5 सामुदायिक वन अधिकार पत्र के दवा फार्म भरने के बाद एसडीम कार्यालय घर घोड़ा तहसील जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जमा कर दिया गया है तथा अभी सामुदायिक वन अधिकार के अन्य कई जंगलों के अधिकार पत्र हेतु दवा करना बचा हुआ है इस स्थिति में बिना वन अधिकार पत्र वितरण एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को पूर्ण

किए किसी भी किस्म की बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देना वन अधिकार अधिनियम 2006 की तथा अनुसूचित क्षेत्र के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ छत्तीसगढ़वासियों के अनुसूचित क्षेत्र के पे pesa नियम का सीधे तौर पर उलंघन होगा ।

अतः महोदया से अनुरोध है कि पांचवी अनुसूची क्षेत्र का पालन करते हुए ग्राम सभा के निर्णय को सम्मान देते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन कार्यवाही सुनिश्चित कर विधि सम्मत कार्यवाही करने का समस्त कोयला प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण जन आपसे अनुरोध करते हैं आप संवेदना पूर्वक विचार करते हुए कोयला खदान को निरस्त का कष्ट करें ।

भवदीय
कोयला प्रभावित क्षेत्र
के समस्त ग्रामवासी

प्रतिलिपि :-

- 1/ श्रीमान भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़
- 2/ श्रीमान सचिव केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली
- 3/ श्रीमान सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर
- 4/ श्रीमान/कलेक्टर/जिलाअध्यक्ष रायगढ़